



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक - 07.08.2025

**वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.08.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली देहात	रियासत पुत्र लियाकत निवासी ग्राम बनखला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2	कोतवाली देहात	रियाज अहमद पुत्र हनीमूद्दीन निवासी ग्राम बनखला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3	स्योहारा	शफीक पुत्र घसीटा निवासी ग्राम बुढैरन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
4	कोतवाली शहर	मितल पुत्र जयराम सिंह निवासी गोकलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
5	कोतवाली शहर	सतपाल पुत्र मुरारी निवासी गोकलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।







प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 07.08.2025

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 137(2) बीएनएस में आरोपित अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।**

### कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 10.10.2024 को वादी द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्त उत्तम कुमार उर्फ विमल पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया । इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 504/24 धारा 65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 07.08.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, बिजनौर धारा धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 137(2) बीएनएस के अभियुक्त उत्तम सिंह उर्फ विमल उपरोक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

### दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

उत्तम सिंह उर्फ विमल पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 07.08.2025

**थाना स्योहारा पुलिस ने अवैध शस्त्रों सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही विवरण –**

थाना स्योहारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विकास कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम रामपुर दुल्ली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया । बरामदगी के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 300/25 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

विकास कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम रामपुर दुल्ली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



**बरामदगी विवरण-**

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक अवैध चाकू ।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 300/25 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी रचित थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 07.08.2025

**थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 271/25 धारा 115(2)/333/352/351(2)/351(3)/64(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.08.2025 को वादिया ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त कासिम पुत्र गुलाम मुस्तफा निवासी मौ0 हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 01 नामित तथा 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादिया के घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई व अश्लील हरकते की गई तथा वादिया द्वारा शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए । प्राप्त तहरीर के आधार थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 271/2025 धारा 76/115(2)/333/352/351(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 76 बीएनएस का लोप कर धारा 64(1) बीएनएस की वृद्धि की गई ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 07.08.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 271/2025 धारा 64(1)/115(2)/333/352/351(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त कासिम पुत्र गुलाम मौहम्मद निवासी मौहल्ला हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कासिम पुत्र गुलाम मौहम्मद निवासी मौहल्ला हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 303/2016 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 321/2023 धारा 294 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 408/2024 धारा 87/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 271/2025 धारा 115(2)/333/352/351(2)/351(3)/64(1) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री राजवीर सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी अनूप सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।